बीस रुपये TWENTY RUPEES

255

न्यायालय श्रीमान समक्ष बोर्ड आफ रेवेन्यू, मुकाम सागर

निगरानी 143-I-15

हुकमसिंह वल्द तेजसिंह मेना

निवासी मसुरहाई तहसील व जिला सागर --- आवेदक

विरुद्ध

पूरनलाल वल्द हल्कू रजक

निवासी मसुरहाई तहसील व जिला सागर --- अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता

B.O.R. 5 DEC 2014

श्री हु.कु. मिश्रा... द्वारा प्रस्तुत. कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

782 28-12-14

अनावेदक श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 पदाकार हुकमसिंह विरुद्ध पूरनलाल मे अपील क्रमांक 653बी।121, वर्ष 08-09 के विरुद्ध विधि एवं तथ्यों से पीड़ित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, श्रीमान अति० आयुक्त सागर संभाग के सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2011 विधि विरुद्ध है । श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त को इस रिवीजन के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना था, परन्तु धारा 44 म०प्र०भू-राजस्व संहिता को अधिकार सुनने का अधिकार था, परन्तु ग्राह्य योग्य न होने से निरस्त नहीं करना चाहिए था । वापिस नहीं लौटाना था ।

7-1-15

2- यह कि, उक्त प्रकरण को सुनने का पूर्ण अधिकार था, क्योंकि रिवीजन का अधिकार नये प्रावधानों से आयुक्त महोदय को प्रदत्त नहीं कियागया है, केवल अपील सुनने का अधिकार था ।

16-1-15

3- यह कि, पूर्व आदेश श्रीमान अति० कलेक्टर को रिवीजन सुनने का अधिकार नहीं था । तहसीलदार के विरुद्ध एस०डी०ओ० को अपील प्रस्तुत करना था, रिवीजन नहीं करना था, अपील ही करना था

मिस्ल० - 143 - II/15

२५.10.16 - आवेदिका को सुना गया। [illegible] कोई [illegible] उप० [illegible] आवेदन पत्र [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[signature] [illegible]

[illegible]

[क. प. उ.